



कार्यालय वनमंडलाधिकारी, दक्षिण कोंडागांव वनमंडल, कोंडागांव  
जिला-कोंडागांव (छ.ग.)



Tel. / Fax: 07786-242303



E-mail: southfedkgn@yahoo.co.in

क्रमांक/मा.चि./15003

कोंडागांव, दिनांक: 22/12/2017

प्रति,

CEO,  
Chhattisgarh Infotech Promotion  
Society, 3<sup>rd</sup> Floor, State Data Center  
Building, Civil Lines Raipur Chhattisgarh

विषय:- **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed land for 'Bastar Net' Project is about creating an optical fibre backbone network to boost the internet and telecom connectivity across the South Kondagaon division, area-0.654 ha. - regarding**

- आनलाईन पंजीयन क्रमांक-FP/CG/Others/27383/2017.

- संदर्भ:-
1. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/मा.चि./14245, दिनांक 07/10/2017 एवं 15376, दिनांक 30/11/2017.
  2. आपका पत्र क्रमांक/2368/मुकाअ/चिप्स/2017, दिनांक 14/12/2017.


संदर्भित पत्र क्रमांक-2 द्वारा कोंडागांव जिले के दक्षिण कोंडागांव वनमंडल अंतर्गत "Bastar Net Project" आष्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित रकबा 0.944 हेक्टेयर क्षेत्र का नवीन चेक लिस्ट अनुसार 44 बिन्दुओं की जानकारी डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट सहित प्रेषित प्रकरण का परीक्षण किया गया। प्रस्ताव में निम्न बिन्दुओं पर त्रुटी/कमियों पायी गई हैं

1. कंडिका क्रमांक 1 में राजस्व खसरा को कक्ष में सम्मिलित कर उल्लेख है।
2. कंडिका क्रमांक 4 में गैर वन क्षेत्र में राजस्व वन क्षेत्र का विवरण दिया जाना है।
3. कंडिका क्रमांक 6 में वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न नहीं है।
4. कंडिका क्रमांक 7 में आवश्यक सुधार की जानी है।
5. कंडिका क्रमांक 12 में कांकेर वनमंडल का नाम उल्लेख किया गया है।
6. कंडिका क्रमांक 15 में गैर वन क्षेत्र के आसपास के नक्शा संलग्न नहीं है।
7. कंडिका क्रमांक 16 एवं 17 में आवश्यक सुधार की जानी है।
8. कंडिका क्रमांक 23 एवं 24 में बस्तर वनमंडल का उल्लेख है।
9. कंडिका क्रमांक 28 में संबंधित ग्राम पंचायत का अन्नापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लगा है।
10. कंडिका क्रमांक 34 में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति एवं जिला कलेक्टर कोण्डागांव का प्रारूप "स" की जानकारी संलग्न नहीं है।
11. कंडिका क्रमांक 35 में कलेक्टर के प्रमाण पत्र के साथ राजस्व वन क्षेत्र के सूची संलग्न नहीं है।
12. कंडिका क्रमांक 44 में संलग्न Form "A" में 0.654 हे. का आनलाईन सम्मिट किया गया है जबकि प्रस्ताव में 0.944 हे. उल्लेख है।

उपरोक्त त्रुटियों/कमियों की पूर्ति कर प्रेषित करना होगा। इसके पूर्व संदर्भित पत्र क्रमांक-1 द्वारा संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण करने हेतु अपने अधिनस्थ अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित करने हेतु लेख किया गया था, जो आज दिनांक तक संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही नहीं की गई है। जिसके कारण क्षेत्रीय अमलों को प्रस्तावित क्षेत्र का ज्ञात जानकारी नहीं है। कृपया उक्त संबंध में अपने अधिनस्थ अधिकारी/कर्मचारी को संयुक्त निरीक्षण करने हेतु निर्देशित करें, कि वे परिक्षेत्र अधिकारी नारंगी/कोंडागांव एवं दहीकोंगा से संपर्क कर संयुक्त स्थल निरीक्षण की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करावें। ताकि स्थल निरीक्षण प्रमाण पत्र में जानकारी तैयार कर प्रस्ताव में सम्मिलित किया जा सकें।

संलग्न :- प्रस्ताव 06 प्रतियों में मूलतः।

वर्तमान में किसी भी प्रकार की वन भूमि में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।

  
वनमंडलाधिकारी  
दक्षिण कोंडागांव वनमंडल  
कोंडागांव

क्रमांक 2...


OK

पू.क्रमांक/मा.चि./15004

कोंडागांव, दिनांक: 22/12/2017

प्रतिलिपि:

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ सेक्टर - 19, नार्थ ब्लॉक, नया रायपुर, पिन कोड 4902002 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।
2. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।
3. उपवनमंडलाधिकारी, पूर्व/पश्चिम कोंडागांव की ओर इस कार्यालय के पू. क्रमांक/मा.चि./15376, दिनांक 30/11/2017 में संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।
4. वन परिक्षेत्र अधिकारी, नारंगी/कोंडागांव एवं दहीकोंगा की ओर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/मा.चि./15375, दिनांक 30/11/2017 में संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है। स्थल निरीक्षण की कार्यवाही पूर्ण कर निर्धारित प्रपत्र में जानकारी तत्काल प्रस्तुत करें।

  
 वन मंडलाधिकारी  
 दक्षिण कोंडागांव वनमंडल  
 कोंडागांव